



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA), राँची जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जामताड़ा



स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat)

॥ जन-जन के लिए सुलभ, त्वरित एवं किफायती न्याय ॥

क्या है स्थायी लोक अदालत ?

स्थायी लोक अदालत एक वैधानिक मंच है, जिसकी स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी के अंतर्गत की गई है। इसका उद्देश्य लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों का सरल, शीघ्र एवं कम खर्च में समाधान उपलब्ध कराना है। यह मंच विवादों को पहले आपसी समझौते (Conciliation) के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं निर्णय (Adjudication) भी प्रदान करता है।

किन मामलों की सुनवाई नहीं होती

- स्थायी लोक अदालत गैर-समझौता योग्य अपराधों की सुनवाई नहीं करती।
 - गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई इसके क्षेत्राधिकार में नहीं है।
- ऐसे मामले जिनमें विवादित संपत्ति का मूल्य ₹1 करोड़ से अधिक हो, उनमें स्थायी लोक अदालत को क्षेत्राधिकार नहीं होगा। (केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा)

प्रमुख विशेषताएँ

- न्यायालय शुल्क देय नहीं होता।
 - प्रक्रिया सरल एवं अनौपचारिक है।
 - आम नागरिक बिना जटिल कानूनी प्रक्रिया के स्वयं अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकते हैं।
 - विवादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित होता है।
 - समझौता न होने पर अदालत स्वयं मामले का निर्णय कर सकती है।
- निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं।

कार्यप्रणाली

1. प्रथम चरण – सुलह (Conciliation)
नामला प्राप्त होने पर अदालत पक्षकारों के बीच आपसी समझौता कराने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य सौहार्दपूर्ण एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है।
2. द्वितीय चरण – निर्णय (Adjudication)
यदि समझौता संभव न हो, तो अदालत मामले के गुण-दोष के आधार पर स्वयं निर्णय प्रदान करती है। यही विशेषता इसे सामान्य लोक अदालत से अलग बनाती है।

लोक उपयोगिता सेवाएँ (Public Utility Services)

स्थायी लोक अदालत निम्न सेवाओं से संबंधित विवादों की सुनवाई करती है:-

- परिवहन सेवा
- डाक एवं दूरसंचार सेवा
- विद्युत सेवा
- जलपूर्ति सेवा
- सार्वजनिक स्वच्छता सेवा
- अस्पताल एवं औषधालय सेवा
- बीमा सेवा

सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य लोक उपयोगिता सेवाएँ

किन मामलों में आवेदन कर सकते हैं?

नागरिक निम्न से संबंधित विवादों के समाधान हेतु स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकते हैं:-

- विद्युत आपूर्ति एवं बिजली बिल संबंधी विवाद
- जलपूर्ति संबंधी शिकायतें
- बीमा दावों से जुड़े विवाद
- परिवहन सेवाओं से जुड़ी समस्याएँ
- डाक एवं दूरसंचार संबंधी शिकायतें

अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े मामलों

॥ सामान्य लोक अदालत एवं स्थायी लोक अदालत में अंतर ॥

आधार	सामान्य लोक अदालत (Regular Lok Adalat)	स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat)
विधिक प्राप्ति	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22-बी
स्थायित्व	समय-समय पर आयोजित (विशेष अवसरों पर)	स्थायी रूप से नियमित कार्यालय
क्षेत्राधिकार	समझौते योग्य दीवानी एवं अपराधिक मामले	लोक उपयोगिता सेवाओं (Public Utility Services) से जुड़े विवाद
आर्थिक क्षेत्राधिकार	विवादित संपत्ति के मूल्य का कोई वैधानिक सीमा निर्धारित नहीं।	विवादित संपत्ति का मूल्य ₹1 करोड़ से अधिक होने पर क्षेत्राधिकार नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा)
निर्णय का अधिकार	केवल समझौते के आधार पर निर्णय, समझौता न होने पर मामले संबंधित न्यायालय में भेजा जाता है।	समझौता न होने पर भी न्याय कर निर्णय (Adjudication) देने का अधिकार
मामले का चरण	जॉच-सुनवाई के विभिन्न चरणों में (Pre-litigation) में मामले- दीवानी एवं फौजदारी के उपरोक्त मामले- दीवानी एवं फौजदारी	जॉच-सुनवाई के विभिन्न चरणों (Pre-litigation) मामलों, समझौता न होने पर स्थायी लोक अदालत द्वारा निर्णय देते हैं (PLA द्वारा निर्णय के अनुसार)
निर्णय की प्रकृति	अंतिम एवं बाध्यकारी (केवल समझौते की दशा में)	अंतिम एवं बाध्यकारी (समझौते एवं निर्णय दोनों दशाओं में)

आदेशानुसार

ह/0
सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जामताड़ा

समझौते से समाधान
स्थायी लोक अदालत के साथ आसान न्याय

सुलभ भी निर्णय भी
स्थायी लोक अदालत सभी के लिए



संपर्क करें

- स्थायी लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, (DLSA), जामताड़ा
- व्यवहार न्यायालय, परिसर जामताड़ा, झारखण्ड

➤ NALSA हेल्पलाइन नं० 15100 नि: शुल्क विधिक सहायता हेतु